Terms of Reference

Finance Controller (NHM-Finance)

Name of Division	NHM Finance Division
Reporting to	Director/ DS (NHM-Finance)
Name of Position	**Finance Controller**
Number of Positions	**Two**
Location	MoHFW, New Delhi

National Health Systems Resource Centre (NHSRC), New Delhi on behalf of Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) is seeking applications from qualified candidates for the above mentioned post purely on contractual basis.

1. Background

National Health Mission (NHM) is the umbrella programme of the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India to provide holistic public health delivery both in the rural and urban areas. The manpower support in the shape of technical assistance purely on a contractual basis is required to assist in the implementation and monitoring of the financial management system under NHM.

Financial Management Group (FMG) working under NHM Finance Division of Ministry of Health & Family Welfare is involved in planning, budgeting, accounting, financial reporting, internal controls including internal audit, external audit, disbursement of funds and monitoring of physical and financial performance of the programme with the main aim of managing resources efficiently and achieving pre-determined objectives. Sound financial management is a critical input for decision making and programme success. Accurate and timely financial information provides a basis for informed decisions about the programme, fund release and assists in reducing delays for smooth programme implementation. FMG tries to ensure that all programmes receive their funds in a timely manner after adhering to all the GFR provisions and DoE conditionalities. Under NHM, it is endeavour of the Government of India to build effective financial management capabilities for managing the funds provided to the State / UTs. The States have also been encouraged to set up Financial Management Groups (FMGs) at the State and strengthen financial management capacities at District level.

2. Objective

Finance Controller at the central level is to oversee the funds management under NHM and other Centrally sponsored scheme under NHM Framework to monitor overall financial management including release of funds, expenditure, FMRs, SFPs, unspent balances, Statutory Audit, Concurrent Audit, PFMS, E-banking, Utilization Certificates, field review visits and action taken thereon by the States/UTs.

3. **Scope of Work**

Key Responsibilities:

i. To ensure correctness/ compliance of release proposals based on extant guidelines and norms.
ii. Supervision, monitoring, training and guidance of the team consisting of Financial Analyst and Finance Assistants for the allocated States/UTs.
iii. Implementation of e-banking arrangements for electronic transfer of funds and implementation of customized Tally at State, District and block levels.
iv. Coordination with development partners, preparation and submission of claims for reimbursement of eligible expenditure.
v. Devising financial MIS and parallel program management status with the help of e-banking data and reconcile the same with manual reports of the States.
vi. Follow up with the States/UTs for uploading financial information on HMIS Portal of the Ministry for the States/UTs.
vii. Coordination with Disease Control Programmes for compiling allocation, release and utilisation of funds etc.

viii. Statutory Audit arrangements for States/UTs including NDCPs, monitoring, review, analysis, compliance of Audit and GOI observations and timely submission of Audit Reports to Development Partners.
ix. Monitoring and implementation of Concurrent Audit of all States/UTs including appointment of Concurrent Auditors, receipt of monthly reports and follow up action thereon.
x. Capacity building for State/District/block level finance & accounts staff from time to time in States, NIHFW and other Institutions.
xi. To oversee the implementation of PFMS at State/District/block level including imparting of training for PFMS from time to time.

Other Responsibilities:

i. To oversee release, expenditure and unspent balance for release of funds to States/UTs for all programmes and activities under NHM.
ii. To oversee timely receipt and analysis of FMRs, Statements of Funds Position, matching physical and financial progress of NHM programmes for States/UTs.
iii. To act as a Nodal Officer for all Finance, Accounts and Audit matters and feedback for allocated States/UTs.
iv. To provide information/data support for Parliament Questions/Committees, RTI, VIP references, CAG & DGACE audits etc.
v. To monitor financial performance indicators and convergence of financial & accounting processes under NHM at state/district /block levels.
vi. Joint Team Visits to States/UTs for financial management performance review, financial studies and prepare status reports with recommendations for improvement. Participating in JRMs, CRMs and prepare reports with observations and implementation of their recommendations.
vii. To implement the Public Finance Management System (PFMS) for funds release under NHM.
viii. Appraisal of Annual PIPs of allocated States, providing draft/final comments to the Nodal Officers and attending deliberations of the NPCC.
ix. To monitor and implement NFAMS at pan India level and their integration with PFMS.
x. To monitor and implement NHM Finance Dashboard.
xi. To monitor funds transfer from State Treasury to Bank Accounts of State Health Society under NHM.

4. Outputs

Timely action on all tasks and responsibilities and submission of a detailed report to Director/ DS (NHM-Finance) at the end of every quarter of action taken and proposed to be taken.

5. Qualifications and Experience

MBA(Finance)/CA from a recognized University/Institute.

Experience of at least 6 years in social sector, private or government sector in financial management operation, government accounting, funds flow management, utilization certificates and scheme-wise expenditure reporting in a government setup. Experience in Development of accounting packages, system analysis, computer programming etc will be an added advantage.

6. Age

Upto 50 years of age on the last date of submitting application.

7. Travel and subsistence

The consultant should be ready to travel extensively to State/District/Block/village levels. All travels must be authorized in advance by the Director/ DS (NHM-Finance). While travelling, the consultant will receive a fixed per diem allowance for boarding/lodging expenses as per Govt. of India rules.

8. Reporting Requirements

The consultant will submit a report to the Director/ DS (NHM-Finance) at the end of every quarter.

9. Consultancy period

Initially, the contract will be for a period upto 31st March 2023. However, subject to satisfactory performance, the consultancy may be renewed for the further period of one year, purely at the discretion of the MoHFW, GOI. The consultancy can, however, be terminated by either party by giving a notice of one month in writing.

10. Remuneration

The consultant will be paid a consolidated monthly remuneration in the fee range of **Rs. 90000 –Rs 150000/- per month** on the basis of qualifications and experience as may be decided by the Joint Selection Board of the GOI and other nominated subject experts, if any. The remuneration shall be decided by the MoHFW Selection/Review Committee on the basis of conditions prevailing at the time of open advertisement for that purpose.

The consultant shall not be entitled to any other benefits such as subsidy, compensation or pension, except as expressly provided in the consultancy agreement. The consultant shall not be exempt from taxation and entitled to reimbursement of any taxes which may be levied as per existing rules on the remuneration received. Consultants recent CV and evidence of last consultancy payment received should be attached.

How to apply:

Candidates are requested to fill the online application correctly which is available on the NHSRC website (http://nhsrcindia.org). Applications will be accepted in the prescribed online application format only. The last date for receiving applications is **23-Aug-2022**.

'निबंधन एवं शर्तें

वित्त नियंत्रक (एनएचएम-वित्त)

प्रभाग का नाम	एनएचएम वित्त प्रभाग
रिपोर्टिंग अधिकारी	उप सचिव (एनएचएम-वित्त)
पद का नाम	**वित्त नियंत्रक**
पदों की संख्या	**दो**
तैनाती का स्थान	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पूर्णतः संविदा आधार पर उपर्युक्त पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर्वांगपूर्ण जन-स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक व्यापक कार्यक्रम है। एनएचएम के तहत वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन और उनकी निगरानी में सहयोग के लिए तकनीकी सहायता के रूप में पूर्णतया संविदा आधार पर कार्मिकों की आवश्यकता होती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एनएचएम वित्त प्रभाग के तहत कार्य करने वाले वित्तीय प्रबंधन समूह (एफएमजी) कुशलतापूर्वक संसाधनों के प्रबंधन और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लक्ष्य के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा, बाहरी लेखापरीक्षा, निधियों का संवितरण और कार्यक्रमों के वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन सहित आयोजना, बजट, लेखांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग,आंतरिक नियंत्रण में संलग्न है। मजबूत वित्तीय बंधन निर्णय लेने और कार्यक्रम की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है।सटीक और समय पर वित्तीय जानकारी कार्यक्रम के बारे में सूचित निर्णयों,फंड रिलीज और कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन मे देरी को कम करने में सहायता के लिए एक आधार प्रदान करती है। एफएमजी यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि सभी कार्यक्रमों को जीएफआर प्रावधानों और डीओई संबंधी शर्तों का पालन करने के वाद समय पर अपनी निधियां प्राप्त हों। एनएचएम के तहत, भारत सरकार का प्रयास है कि वह राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई निधियों के प्रबंधन के लिए प्रभावी वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं का निर्माण करे। राज्यों को, राज्य में वित्तीय प्रबंधन समूह स्थापित करने और जिला स्तर पर वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

2. उद्देश्य

केंद्रीय स्तर पर वित्त नियंत्रक को एनएचएम के तहत निधियों के प्रबंधन की निगरानी और निधियों को जारी करने, व्यय, एफएमआर, एसएफपी, अव्ययित शेष, सांविधिक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा, ई-बैंकिंग, उपयोग प्रमाण-पत्रों,क्षेत्र समीक्षा दौरों और उन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई सहित समग्र वित्तीय प्रबंधन की निगरानी करने के लिए एनएचएम कार्य-ढांचे के तहत अन्य केंद्रीय प्रायोजित स्कीम की भी निगरानी करनी होगी ।

3. कार्यक्षेत्र

मुख्य जिम्मेदारियां:

(i) दिशा-निर्देशों और मानकों के आधार पर निधियां जारी करने संबंधी प्रस्तावों की यथार्थता / अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ii) आवंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वित्तीय विश्लेषक और वित्त सहायकों के दल का पर्यवेक्षण, निगरानी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करना।

(iii) राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर सभी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निधियों के अंतरण के लिए ई-बैंकिंग व्यवस्था का कार्यान्वयन और आवश्यकतानुसार तैयार किए गए टैली का कार्यान्वयन करना।

(iv) विकास भागीदारों के साथ समन्वय, पात्र व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावे तैयार करके उन्हें प्रस्तुत करना।

(v) ई-बैंकिंग डाटा की मदद से वित्तीय एमआईएस और समानांतर कार्यक्रम प्रबंधन स्थिति तैयार करना और राज्यों की मैनुअल रिपोर्टों से उनका मिलान करना।

(vi) वित्तीय जानकारी को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्रालय के एचएमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(vii) निधियों के आवंटन, निर्गम एवं उपयोग आदि के समेकन के लिए रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(viii) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षाओं की व्यवस्था करना जिसमें एनडीसीपी, निगरानी, समीक्षा, विश्लेषण, लेखा-परीक्षा तथा भारत सरकार की टिप्पणियों का अनुपालन करना और विकास साझेदारों को समय पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है।

(ix) सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में समवर्ती लेखा-परीक्षओं की निगरानी और कार्यान्वयन करना जिसमें समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, मासिक रिपोर्टों की प्राप्ति और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।

(x) राज्यों, एनआईएचएफडब्ल्यू तथा अन्य संस्थानों में राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर वित्त एवं लेखा कर्मचारियों का समय-समय पर क्षमता निर्माण करना।

(xi) राज्य/ जिला/ ब्लॉक स्तर पर पीएफएमएस के कार्यान्वयन की निगरानी करना जिसमें समय-समय पर पीएफएमएस संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

अन्य जिम्मेदारियां:

(i) एनएचएम के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सभी कार्यक्रमों और कार्यकलापों के लिए निधि जारी करने हेतु निर्गम, व्यय एवं अव्ययीत शेष राशि की निगरानी करना।

(ii) एफएमआर, निधियों की स्थिति के विवरण की समय पर प्राप्ति तथा उनके विश्लेषण की निगरानी करना, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एनएचएम कार्यक्रमों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का मिलान करना।

(iii) आवंटित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समस्त वित्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा संबंधी मामलों में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना और उनके बारे में फीडबैक देना।

(iv) संसदीय प्रश्नों/समितियों, आरटीआई, वीआईपी संदर्भों, सीएजी एवं डीजीएसीई की लेखापरीक्षाओं आदि के लिए जानकारी/डाटा उपलब्ध कराना।

(v) राज्य/जिला/ब्लॉक स्तरों पर एनएचएम के तहत वित्तीय निष्पादन संकेतकों, तथा वित्तीय एवं लेखाकरण संबंधी प्रक्रियाओं में समरूपता की निगरानी करना।

(vi) वित्तीय प्रबंधन निष्पादन समीक्षा, वित्तीय अध्ययनों के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में संयुक्त दल के दौरे की व्यवस्था करना और सुधार लाने के लिए सिफारिशों के साथ स्थिति रिपोर्ट तैयार करना। जेआरएम, सीआरएम में भाग लेना और उनकी सिफारिशों की टिप्पणियों और कार्यान्वयन के साथ रिपोर्ट तैयार करना।

(vii) एनएचएम के तहत निधियां जारी करने हेतु लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का कार्यान्वयन करना।

(viii) आबंटित राज्यों की वार्षिक पीआईपी का मूल्यांकन करना, नोडल अधिकारियों को प्रारूप/अंतिम टिप्पणियां उपलब्ध कराना और 'एनपीसीसी के विचार-विमर्श में भाग लेना।

(ix) अखिल भारतीय स्तर पर एनएफएएमएस की निगरानी और कार्यान्वयन करना और पीएफएमएस के साथ उनका एकीकरण करना।

(x) एनएचएम वित्त डैशबोर्ड की निगरानी और कार्यान्वयन करना।

(xi) एनएचएम के अधीन राज्य कोषागार से राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के बैंक खातें में निधियों के अंतरण की निगरानी रखना।

4. आउटपुट

सभी कार्यों एवं जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना और प्रत्येक तिमाही के अंत में की गई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट निदेशक / उप-सचिव (एनएचएम-वित्त) को प्रस्तुत करना।

5. अर्हताएं और अनुभव

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एमबीए (वित्त)/सीए

सामाजिक क्षेत्र, निजी या सरकारी क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन संचालन में सरकारी स्थापना में सरकारी लेखाकरण, निधि प्रवाह प्रबंधन, उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा योजना-वार व्यय रिपोर्टिंग का कम से कम 6 वर्ष का अनुभव। लेखाकरण पैकेजों; प्रणाली विश्लेषण, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इत्यादि के विकास में अनुभव एक अतिरिक्त अर्हता होगी।

6. आयु:

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को आवेदक की ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष तक होनी चाहिए।

7. यात्रा एवं भत्ता

परामर्शदाता को राज्य/जिले/ब्लॉक/ग्राम स्तरों पर व्यापक रूप से यात्रा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। सभी यात्राएं निदेशक/उप-सचिव (एनएचएम-वित्त) द्वारा अग्रिम रूप से अधिकृत होनी चाहिए। यात्रा के समय परामर्शदाता को भारत सरकार के नियमानुसार रहने/ ठहरने पर हुए व्यय के लिए निर्धारित दैनिक भत्ता देय होगा।

8. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

'परामर्शदाता प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक/उप-सचिव (एनएचएम-वित्त) को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

9. परामर्श सेवा की अवधि

आरंभ में यह अवधि दिनांक 31 मार्च, 2023 तक होगी। तथापि संतोषजनक कार्य-निष्पादन के शर्ताधीन परामर्श सेवा केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के स्वविवेक पर अगले एक वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत की जाएगा। फिर भी, परामर्श सेवा को दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा लिखित रूप में एक माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

10. पारिश्रमिक

परामर्शदाता को उसकी अर्हताओं एवं अनुभव के आधार पर भारत सरकार के संयुक्त चयन बोर्ड, तथा अन्य मनोनीत विषय विशेषज्ञों, यदि कोई है, द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिमाह 90,000 से 1,50,000/- रु. के बीच के समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। पारिश्रमिक के संबंध में, उस प्रयोजन के लिए खुले विज्ञापन के समय विद्यमान स्थितियों के आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की चयन/समीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। परामर्शदाता को परामर्श सेवा करार में स्पष्ट रूप से उल्लिखित लाभों को छोड़कर सब्सिडी, मुआवजा या पेंशन जैसे कोई अन्य लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। परमार्शदाता को कर भुगतान से छूट नहीं दी जाएगी और उसे प्राप्त पारिश्रमिक पर मौजूदा नियमों के अनुसार लगाए गए करों का भुगतान करना होगा। आवेदन के साथ परामर्शदाता का हाल का जीवन-वृत्त (सीवी) और पिछली परामर्श सेवा में प्राप्त भुगतान का साक्ष्य संलग्न किया जाना चाहिए।

आवेदन करने के लिए:

उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन सही तरह से भरने का आग्रह किया जाता है जो एनएचएसआरसी की वैबसाइट http://nhsrcindia.org पर उपलब्ध है। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में होने पर ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **23-Aug-2022** है।